उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः–.....अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0–I/प्रशिक्षण दिनांकः 06/05/2025

विषय– भारत के राज्य संप्रतीक के संप्रदर्शन के सम्बन्ध में।

निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त)
समस्त मुख्य अभियन्ता
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
.....।

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 13/04/2025–पब्लिक, दिनांक 03.02.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि भारत का संप्रतीक(अनुचित प्रयोग प्रतिषेध अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य संप्रतीक)(प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 भारत संप्रतीक(प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 के साथ पढ़ा जाए, और उनके उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों(भारत के राज्य संप्रतीक के अपूर्ण प्रदर्शन के लिए) तथा व्यक्तियों/संगठनों(जो भारत के राज्य संप्रतीक का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहें है) के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

पत्रानुसार यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "सिंह स्तंभ" शीर्ष के नीचे लिखे आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" (देवनागरी लिपि में) के बिना वह भारत के राज्य संप्रतीक के रूप में अपूर्ण है। भारत के राज्य संप्रतीक का अपूर्ण प्रदर्शन उक्त अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा, ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न व्यक्ति/प्राधिकारी, जो भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, अपनी लेखन सामग्री, वाहनों आदि पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों/प्रयोजनों तक सीमित है, उल्लंघन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों (भारत के राज्य संप्रतीक के अपूर्ण प्रदर्शन के लिए) तथा व्यक्तियों/संगठनों (जो भारत के राज्य संप्रतीक का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं) के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कृपया उक्त निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक

पत्रांकः–2043.....अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0–I/प्रशिक्षण/तद्दिनांक –

1. स्टाफ ऑफिसर–1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक

संख्याः / XX-5 / 25 / 03(08)2025

प्रेषक,

निवेदिता कुकरेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादून, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

विषयः भारत के राज्य संप्रतीक के संप्रदर्शन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 13 / 4 / 2025–पब्लिक, दिनांक 03.02.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत का संप्रतीक(अनुचित प्रयोग प्रतिषेध अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य संप्रतीक)(प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 भारत के राज्य संप्रतीक(प्रयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 2010 के साथ पठित, के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों(भारत के राज्य संप्रतीक के अपूर्ण प्रदर्शन के लिए) तथा व्यक्तियों / संगठनों(जो भारत के राज्य संप्रतीक का अनाधिकृत रूप से प्रयोग कर रहें हैं) के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

02– अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त। भवदीया,

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

संख्या 452(1) / XX-5 / 22 / 03(08)2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव, समस्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि पत्र मे की गयी अपेक्षा के क्रम मे अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

A.S. (Energy (1,2), Housing, Planning)

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

04.04.2025

5. अतः, एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची के परिशिष्ट I एवं II में दिये प्रारूप के अनुसार सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" के साथ 'राज्य संप्रतीक' के पूर्ण चित्र को प्रदर्शित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्तियों/प्राधिकारियों के द्वारा लेखन सामाग्री, वाहनों आदि पर भारत के राज्य संप्रतीक का कोई अनधिकृत प्रयोग न किया जाए।

6. इस संबंध में तदनुसार सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को उचित अनुदेश जारी किए जाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत के आम नागरिकों के बीच इस संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं। भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 (भारत के राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 के साथ पठित) के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों (भारत के राज्य संप्रतीक के अपूर्ण प्रदर्शन के लिए) तथा व्यक्तियों/ संगठनों (जो भारत के राज्य संप्रतीक का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे है) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

संलग्नक : यथोपरि (3)

भवदीय,

(जी. पार्थसारथी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
☎ 011-2309 2125

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।